तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.12.2017	वकील अपीलान्ट उपस्थित। वकील रेस्पोन्डेन्ट अनुपस्थित। प्रकरण में दफा 5 जाब्ता मयाद एवं दफा 96 जा.दी. पर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 280/2008 निर्णय दिनांक 24.12.2010 से रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को वसीयत के आधार पर वाद वर्णित भूमियों का खातेदार घोषित किया गया है, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा दिनांक 06–06–2011 को पेश की गयी है। अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.12.2010 की प्रार्थीगण को जानकारी नहीं थी, क्योंकि उन्हें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। अपीलान्ट उदयपुर में निवास करते हैं तथा उनके पक्ष में निष्पादित वसीयत दिनांक 25.10.2006 के आधार पर जो इन्द्राज दुरस्ती की कार्यवाही प्रकरण संख्या 5/2008 तहसीलदार के यहां प्रारम्भ की, उसमें न्यायालय जिला न्यायाधीश राजसमन्द के समक्ष प्रस्तुत वाद की वजह से कार्यवाही स्थगित कर दी गयी इसलिए वे सद्भावनापूर्वक यही समझते रहे कि जब कभी तहसीलदार कार्यवाही प्रारम्भ करेंगे तो उन्हें सूचना अवश्य देंगे, परन्तु विपक्षी संख्या 1 ने धोखे से अधिनस्थ न्यायालय से डिक्री प्राप्त कर ली, जिसका उन्हें पता ही नहीं चला। अन्य सहखातेदारों के मार्फत उन्हें पता चला कि प्रेमकान्त जी के बजाय जमीन विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज हो गयी है, जो उन्होंने राजसमन्द आकर अधिवक्ता नियुक्त कर सारी तहकीकात की तो उन्हें ज्ञात हुआ कि न्यायालय के निर्णय से खाता रद्दोबदल हुआ है, तत्पश्चात् उन्होंने दिनांक 25.04.2011 को नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया, जिसकी नकल उन्हें दिनांक 03.05.2011 को मिली। इससे पहले उन्हें अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नहीं थी। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी है। ताईद में दोनों अपीलान्टगण के शपथ पत्र प्रस्तुत किये। उक्त दफा 5 के आवेदन का जवाब रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी/अपीलान्ट को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार ही प्राप्त नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.12.2010 की पालना में नामान्तरकरण भी दिनांक 31.01.2011 को रेस्पोन्डेन्ट के नाम खुल चुका है तथा राजस्व रेकार्ड में भूमि उसके नाम दर्ज हो	

	चुकी है। विपक्षी/रेस्पोन्डेन्ट उक्त भूमि पर न केवल इस निर्णय के आधार पर बल्कि वसीयत के आधार पर श्री प्रेमकान्त की मृत्यु के बाद से काबिज चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण ने इन्द्राज दुरस्ती की कोई कार्यवाही तहसीलदार राजसमन्द के यहां प्रकरण संख्या 5/2008 के रूप में प्रारम्भ नहीं करवायी है। तहसीलदार को काश्तकारी अधिनियमों के तहत इन्द्राज दुरस्ती करने के कोई अधिकार ही प्राप्त नहीं हैं। आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा कार्यवाही को ड्रोप करना बताते हुए तहसीलदार राजसमन्द का आदेश दस्तावेज के रूप में पेश किया गया है, जबकि इस प्रार्थना पत्र में तहसीलदार द्वारा कार्यवाही को स्थगित किये जाने का उल्लेख किया गया है। न्यायालय की डिक्री की जानकारी किस सहखातेदार से हुई, इसका उल्लेख प्रार्थीगण द्वारा नहीं किया गया है। अपीलान्ट को दिनांक 25.04.2011 को आदेश की जानकारी होते हुए भी दिनांक 06.06.2011 को उक्त अपील पेश की गयी है एवं जानकारी का जो आधार बताया है वह न तो उचित है न ही न्यायोचित। अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी स्वयं के कथनानुसार दिनांक 25.04.2011 को हो चुकी थी, फिर भी आप न्यायालय में गलत तथ्य प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतएवं मयाद कण्डोन नहीं की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया। → हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अपीलान्ट स्वयं यह कथन करता है कि उसे अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी दिनांक 25.04.2011 को हो चुकी थी, जबकि उसके द्वारा नकल हेतु दिनांक 30.05.2011 को आवेदन पेश किया गया अर्थात जानकारी दिनांक से 1 माह 5 दिन बाद आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। यह भी स्पष्ट होता है कि नकल आवेदन प्रस्तुत करने के 3 दिन बाद ही तैयार हो गयी थी, परन्तु उसके द्वारा नकल दिनांक 03.06.2011 को प्राप्त की गयी है तथा अपील इस न्यायालय में दिनांक 06.06.2011 को पेश की गयी है। हमारे द्वारा यह भी पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा आदेश 41 नियम 27 जा.दी. का जो आवेदन इस न्यायालय में पेश किया गया है, उसमें प्रेमकान्त द्वारा दिनांक 25.10.2006 की वसीयत उपलब्ध है तथा तहसीलदार के यहां उसके द्वारा आवेदन दिनांक 29.07.2010 प्रस्तुत किया गया है। दिनांक 16.01.2009 को तहसीलदार द्वारा जिला एवं सत्र न्यायालय के निर्णय तक प्रकरण में कार्यवाही स्थगित की गयी है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित	

	किया गया है उसमें अपीलान्ट पक्षकार नहीं थे अतएवं यह दायित्व रेस्पोन्डेन्ट पर है कि वह यह स्थापित करे कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलान्ट का किस प्रकार से हुई है। अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं होने से उन्हें अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी होने के कोई तथ्य एवं आधार हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं। अपीलान्ट को सद्भावी रूप से अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी दिनांक 25.04.2011 को हुई है तथा वह भी किसी अन्य सहखातेदार द्वारा दीवानी प्रकरण में चल रहे वाद के सन्दर्भ में बताया गया है। अतएवं यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि अपीलान्ट को पूर्व में इस प्रकरण की जानकारी हो। अपीलान्ट को दिनांक 25.04.2011 को जानकारी के बाद अपील अन्दर अवधि 2 माह में पेश कर दी गयी है। अपीलान्ट ने पश्चातवर्ती वसीयत के आधार पर अपील प्रस्तुत की है। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय के दृष्टिगत प्रथमता अपीलान्ट की मयाद कण्डोन किये जाने के लिए प्राथमिक आधार उपलब्ध है। रेस्पोन्डेन्ट द्वारा न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2008 (2) पेज 1114 पेश की गयी है, जिसमें मयाद कण्डोन किये जाने के लिए उचित एवं पर्याप्त आधार नहीं होने पर मयाद कण्डोन नहीं किये जाने का विधिक अभिमत व्यक्त किया गया है। इस प्रकरण में अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी का कोई स्पष्ट आधार उपलब्ध नहीं है, जबकि वह पश्चातवर्ती वसीयत के आधार पर अपना हक जाहिर करता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय किये जाने के दृष्टिगत न्यायहित में एवं वर्णित परिस्थितियों तथा रेकार्ड व तथ्यात्मक स्थिति के आधार पर मयाद कण्डोन की जाना हम उचित समझते हैं। अतएवं मयाद कण्डोन की जाती है। प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा दफा 96 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मजा में शिवदत्त जी के नाम से भूमियां दर्ज हैं, जिनका निधन दिनांक 18.04.2002 को हो गया। उनके निधन के बाद उत्तराधिकार के रूप में भूमियां उनके पुत्र प्रेमकान्त व पुत्री सुश्री शीला कुमार के नाम दर्ज है। शीला कुमार का देहान्त दिनांक 22.09.2006 को हो गया तथा प्रेमकान्त का भी देहान्त दिनांक 26.03.2007 को हो गया। प्रेमकान्त इस भूमि के अन्तिम अभिलिखित खातेदार थे और वही भूमि पर काबिज होकर उपयोग, उपभोग करते थे। प्रेमकान्त जी ने अपनी तमाम चल अचल सम्पत्ति अपनी सगी भुआ के पुत्र श्री कैलाश पिता रोड़ीलाल व भुआ की पुत्री जो कैलाश की सगी बहन है, बहिस्सा बराबर वसीयत कर दी। इस एवं उन्होंने दिनांक 25.10.2006 को एक वसीयतनामा	

अनुप्रमाणक साक्षियों ललित कुमार मेहता व नरेश कुमार दवे की उपस्थिति में निष्पादित कर दिया, तब से प्रार्थीगण उक्त तमाम चल अचल सम्पत्ति के मालिक काबिज हैं। तहसीलदार ने वसीयत के आधार पर वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज करने की कार्यवाही को दिनांक 16.01.2009 को बीच में ही रोक कर कार्यवाही स्थगित कर दी। विपक्षी संख्या 1 प्रेमकान्त जी का नौकर था और उनकी अनुपस्थिति में वादग्रस्त कृषि भूमियों की देखभाल करने की नौकरी करता था, उसने धोखे से प्रेमकान्त जी की जमीन हड़पने की नियत से बनावटी वसीयतनाम दिनांक 14.10.2006 को तैयार कर फर्जी वसीयत के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर वाद डिक्री करवा लिया, जिसकी प्रार्थीगण को कोई जानकारी नहीं हो पायी, परन्तु तहसीलदार को इस बात की पूरी जानकारी थी कि इसी भूमि बाबत् प्रार्थीगण एक वसीयत के तहत अपना वाजिब दावा रखते हैं, क्योंकि तहसीलदार के यहां इस बाबत् एक न्यायिक कार्यवाही प्रारम्भ हुई, जिसका प्रकरण संख्या 5/2008 होकर न्यायालय जिला न्यायालय राजसमन्द में एक अन्य सिविल वाद प्रस्तुत हो जाने से उस कार्यवाही को दिनांक 16.01.2009 को स्थगित कर दिया गया। तहसीलदार ने इस तथ्य को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष बयान नहीं किया और विपक्षी संख्या 1 से मिलीभगत कर उसके द्वारा प्रस्तुत वाद को निर्णित करवा दिया। इस प्रकार प्रार्थीगण अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 24.12.2010 से वास्तविक रूप से पीड़ित है, क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें बिना सुने निर्णय पारित किया गया है। उक्त डिक्री की पालना यदि हो जाती है तो प्रार्थीगण हमेशा के लिए अपनी सम्पत्ति व उससे होने वाली आय से वंचित हो जायेगा, जिससे उसके हित बुरी तरह प्रभावित होगें। अपीलान्ट आवश्यक हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार हैं। अतएवं उसे अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दी जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

अपीलान्ट के दफा 96 जा.दी. के आवेदन का जवाब रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट का शीला कुमारी व प्रेमकान्त से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं रहा है न ही शिवदत्त से किसी प्रकार का कोई संबंध रहा है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से प्रेमकान्त की सेवा की है उससे प्रेम एवं वात्सल्य होने से प्रेमकान्त जी ने अपनी खातेदारी की भूमि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में वसीयत की है। अपीलान्ट का भूमि पर कोई आधिपत्य नहीं है एवं उसके पक्ष में किसी प्रकार की वसीयत नहीं की गयी है, उसके द्वारा वसीयत फर्जी व कूटचरित बनायी गयी है। वसीयत में

	दस्तावेज के निष्पादन की तारीख दिनांक 25.10.2006 को बतायी है तथा नोटरी 22.12.2006 को करायी गयी है, जिससे उक्त वसीयत प्रथम दृष्टया ही फर्जी प्रमाणित हो रही है, जिस समय नोटरी पब्लिक ने वसीयत प्रमाणित की थी उस समय उसे नोटरी करने का अधिकार ही नहीं था। सिविल न्यायालय में इसी जायदाद से संबंधित विचाराधीन वाद विचाराधीन वाद कस्तूरी बनाम कैलाश वगैरह प्रकरण संख्या 114/2008 नये नंबर 19/2012 न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश में इस वसीयत के आधार पर अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार के हक अधिकार क्लेम नहीं किये गये, क्योंकि अपीलान्ट यह जानते थे कि उक्त वसीतय फर्जी है। यहां तक कि सिविल न्यायालय में कस्तूरी द्वारा इसी जायदाद के संबंध में पेश किये गये वाद को दिनांक 23.08.2013 को वाद विड्रो करने का आवेदन पेश किया था, उसमें भी प्रतिवादी द्वारा कोस्ट के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की और न्यायालय द्वारा दिनांक 29.08.2013 को वाद फैसल कर दिया गया। प्रकरण संख्या 114/2008 कस्तूरी बनाम कैलाश वगैरह में अपीलान्ट द्वारा वसीयत के आधार पर कोई हक अधिकार क्लेम नहीं किये गये हैं और अपीलान्ट द्वारा अपने हक अधिकारों को वेव कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में तथाकथित फर्जी वसीयत के आधार पर अपीलान्ट को यह अपील पेश करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत सुनवाई कर निर्णय पारित किया गया है। → हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा दफा 96 जा.दी. के आवेदन पर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में वसीयत के आधार पर डिक्री पारित की है, जिसमें अपीलान्ट पक्षकार नहीं थे, परन्तु साथ ही यह भी एक तथ्य है कि दीवानी न्यायालय में किन्हीं अन्य पक्षकारों के मध्य प्रेमकान्त से संबंधित आराजियात, जिसमें उक्त कृषि भूमि भी शामिल है तथा अपीलान्ट स्वयं भी यह वर्णित करता है कि उक्त सिविल न्यायालय के वाद संख्या 114/2008 के नये नंबर 19/2012 अपर जिला न्यायाधीश में लम्बित था, जिसमें किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा अपीलान्ट को शामिल करते हुए वाद दीवानी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उक्त कृषि भूमि भी शामिल थी तथा अपीलान्ट प्रतिवादी के रूप में स्थित थे। अपीलान्ट द्वारा उक्त दीवानी वाद में इस वसीयत का जिक्र ही नहीं किया गया है तथा वाद वादी द्वारा विड्रो करते समय दीवानी न्यायालय में इस प्रकरण के अपीलान्ट/प्रतिवादी द्वारा	

कोस्ट के अलावा अन्य किसी प्रकार का उजर नहीं किया जाना भी अत्यन्त आश्चर्य जनक प्रकट होता है। उसके द्वारा काउण्डर क्लेम विरासत के आधार पर क्यों नहीं पेश किया गया ? अपीलान्ट का कृत्य प्रथम दृष्टया संदेहास्पद प्रतीत होता है। रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2007 (1) पेज 650 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं होने के बावजूद व्यथित पक्षकार को अपील प्रस्तुत करने की इजाजत दी जा सकती है बशर्ते अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय उसके विरूद्ध रेसज्यूडीकेटा के रूप में ओपरेट नहीं करे। इस प्रकरण में यह पूर्णतया सुस्पष्ट है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने पक्ष में वसीयत के आधार पर खातेदारी घोषणा की डिक्री प्राप्त की गयी है। अपीलान्ट अपने पक्ष में हुई वसीयत के आधार पर स्वयं को हितबद्ध मानता है। दोनों वसीयतों में कौन से वसीयत अधिक महत्वपूर्ण एवं विधिक है इस बाबत् अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय में पुनः नया वाद पेश करने से वह विवर्जित नहीं है, क्योंकि रेस्पोन्डेन्ट के वाद में वह पक्षकार नहीं था तथा उसे सुना नहीं गया। अब पुनः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किये गये निर्णय को निरस्त करते हुए जिसमें प्रथम दृष्टया अपीलान्ट द्वारा सिविल न्यायालय में किये गये व्यवहार एवं कृत्य को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट के पक्ष में इक्विटी इस स्तर पर हम नहीं पाते हैं तथा अपीलान्ट की यदि कोई हितबद्धता प्रमाणित होती है, जो कि इस स्तर पर हम प्रमाणित नहीं मान सकते, तो वह इसके लिए पुनः अधिनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने को स्वतंत्र है। अपीलान्ट को दफा 96 जा. दी. के आवेदन के स्तर पर हम उक्त वसीयत के आधार पर प्रथम दृष्टया आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार नहीं पाते हैं। अतएवं दफा 96 जा.दी. का आवेदन स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। तद्नुसार अपील भी इसी स्टेज पर खारिज की जाती है। अपीलान्ट वसीयत के आधार पर सक्षम न्यायालय राजस्व न्यायालय/दीवानी न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....
..**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....
.....

श्रीमती मंजू पुत्री रोड़ीलाल श्रीमाली बनाम **रामसिंह पिता मोहनसिंह राजपूत**
पत्नी कुन्दनलाल श्रीमाली, निवासी **निवासी**
कल्लाखेड़ी, तह.नाथद्वारा
14, बाबेलों की सेहरी, उदयपुर व अन्य **जिला राजसमन्द**
व अन्य

अपील नं.....**110 / 2011**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**राजसमन्द**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....24**.....माह.....
12.....**2010**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**20**.....माह.....**12**.....सन् **2017**
रूबरू...**पक्षकारान**
व हाजरी.....**श्री सत्यप्रकाश व्यास**....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री वी. एस. कर्णावत**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 24–12–2010 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.... **X** ...).....रूपये.... **X** ..
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....
...अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**20**.....माह.....**12**.....
.....**2017**
को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व
अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी		

नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।